जीविका
गरीबी निवारण हेतु बिहार सरकार की पहल
बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहार
बिहार सरकार
प्रथम तल, विद्युत भवन -2, बेली रोड, पटना – 800 021, दूरभाष :+91-612-250-4980, फैक्स :+91-612-250 4960, ईमेल :: info@brlp.in, वेबसाईट : www.brlp.in

पत्रांक: BRLPS/Proj-SD/900/16/ 4249 दिनांक: 18.01.18

कार्यालय आदेश

दिनांक 21 जनवरी, 2018 को दहेज एवं बाल विवाह के उन्मूलन से सम्बंधित बिहार में राज्य व्यापी मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया है। यह वांछनीय है कि जिस प्रकार गत वर्ष शराब बन्दी के समर्थन में आयोजित मानव श्रृंखला में जीविका से सम्बंधित कर्मी एवं समुदायिक संगठनों के सदस्यों ने भाग लिया था उसी प्रकार इस वर्ष भी इस अभियान में वे सम्मिलित हों। जीविका के कर्मी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस अभियान में उनकी भागीदारी हो और कोई भी जीविका कर्मी उक्त तिथि को मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की अनुमति के बिना अनुपस्थित नहीं रहे।

यह अपेक्षित है कि जिला स्तर से प्रत्येक प्रखण्ड के लिए कर्णांकित मेन्टर इस अभियान का गहन अनुश्रवण करें। मानव श्रृंखला की सफलता सुनिश्चित करने के लिए प्रमण्डलवार अनुश्रवण का दायित्व राज्य स्तर के पदाधिकारियों को निम्नानुसार दिया जाता है:-

क्रम संख्या	प्रमण्डल	प्रतिनियुक्त पदाधिकारी
1.	पटना	श्री मुकेश चन्द्र शरण, कार्यक्रम समन्वयक-वित्तीय समावेशन
2.	मगध (गया)	श्री जीतेन्द्र कुमार, राज्य परियोजना प्रबंधक-जॉब्स
3.	भागलपुर	श्रीमती अर्चना तिवारी, राज्य परियोजना प्रबंधक-समाजिक विकास
4.	तिरहुत (मुजफ्फरपुर)	डॉ० संतोष, प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट
5.	दरभंगा	श्रीमती महुआ रॉय चौधरी, कार्यक्रम समन्वयक-जी० एण्ड के०एम०
6.	कोसी	श्री आनंद शंकर, राज्य परियोजना प्रबंधक-मानव संसाधन
7.	सारण (छपरा)	श्री मनीष कुमार, राज्य परियोजना प्रबंधक-सूक्ष्म वित्त
8.	पूर्णिया	श्री उदय कुमार वर्मा, राज्य वित्त प्रबंधक
9.	मुंगेर	श्री रंजीत कुमार, मुख्य वित्त प्रबंधक

(2)

जिला परियोजना प्रबंधकों से विमर्श के आधार पर प्रमण्डलीय मेण्टर जीविका के कर्मियों तथा सामुदायिक सदस्यों का उन्मुखीकरण करने हेतु आवश्यकतानुसार कर्णांकित प्रमण्डल के किसी जिला/क्षेत्र में भी जा सकते हैं।

इस मानव श्रृंखला का आयोजन मुख्यत: महिलाओं से सम्बंधित महत्त्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों के सन्दर्भ में किया जा रहा है इसलिए मानव श्रृंखला में महिलाओं की अधिकाधिक भागीदारी वांछनीय होगी।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के आदेशानुसार,

18.1.2018

(ब्रजकिशोर पाठक)
विशेष कार्य पदाधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. सभी जिला परियोजना प्रबंधक/प्रखंड परियोजना प्रबंधक।
2. सभी कार्यक्रम समन्वयक/राज्य परियोजना प्रबंधक/परियोजना प्रबंधक/ राज्य वित्त प्रबंधक/सहायक वित्त प्रबंधक।
3. निदेशक/प्रशासी पदाधिकारी/मुख्य वित्त पदाधिकारी/प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट/ प्रोक्योरमेंट ऑफिसर।
4. आई०टी०सेक्शन।
5. संबंधित संचिका।